Seventeenth Loksabha

p>

Title: Need to increase the import duty on syrup.

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): माननीय अध्यक्ष जी, देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ शहद उत्पादन नहीं होता हो। इन राज्यों के लगभग ढाई लाख से अधिक किसानों के अथक परिश्रम के कारण ही हमारे देश से वर्ष 2017-18 में 51,547 मीट्रिक टन शहद का निर्यात संभव हो पाया था। पिछले कुछ वर्षों से पड़ोसी देश चीन ने शहद बाज़ार में अपना वर्चस्व बनाए रखने की होड़ में नकली शहद के माध्यम से भारत के शहद बाज़ार में अपना हस्तक्षेप किया है। इस काम में भारत की नामी कम्पनियाँ भी चीन की मदद से नकली शहद बाज़ारों में बेच रही हैं। परिणामस्वरूप भारत के शहद उत्पादकों को अपने उत्पाद आधे मूल्य पर बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इस अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को तुरन्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि देश की कुछ बड़ी कम्पनियाँ शहद में सीरप मिलाकर देश में ही नहीं अन्य देशों को भी निर्यात कर रही हैं। सीरप 40-42 रुपये किलो के भाव से खरीदकर शहद में मिलाया जाता है। देश में जो कम्पनियाँ सीरप को सप्लाई करती हैं, वे भी बिना बिल के करती हैं, क्योंकि उन पर 18 परसेंट जीएसटी नहीं लगता है। इसलिए सीरप पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए, क्योंकि काफी मात्रा में कई देशों से इसका आयात किया जाता है।

मैं सरकार का आभारी हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाली 'निर्यात निरीक्षण परिषद्' ने अमेरिका, यूरोप तथा अन्य खाड़ी देशों में निर्यात होने वाले शहद में मिलावट को रोकने के लिए जाँच प्रणाली एनएमआर को 1 अगस्त, 2020 से अनिवार्य कर दिया है, जबकि इसे 1 अप्रैल, 2020 से ही लागू किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अगस्त, 2020 तक तो शहद का सीजन ही समाप्त हो जाएगा और सारा शहद तब तक निर्यात हो जाएगा। अगर सरकार 1 अप्रैल, 2020 को जाँच की पुख्ता प्रणाली एनएमआर को लागू करने का आदेश

देती है, तो देश के ईमानदार शहद उत्पादकों व मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को उचित लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, केवल एक मिनट के बाद आपका माइक बंद होने वाला है।